जनसत्ता
14/3/01
p.6

जिसकी लाठी उसका पेटेंट

फिलिप कैलेट

भारत जैव विविधता सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन में हुए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापारिक पहलुओं से संबधित समझौते (ट्रिप्स) का सदस्य है। वह इन दोनों समझौतों से पैदा हुई मजबूरियों से निपटने की कोशिश कर रहा है। इस दिशा में संसद में दो विधेयक भी पेश किए जा चुके हैं। ये दो विधयेक– वनस्पति विविधिता और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और पेटेंट विधेयक (संशोधित) ट्रिप्स समझौतों के प्रति उसके रुझान को प्रकट करते हैं। वैसे तो तीनों विधेयकों के अलग उद्देश्य हैं, लेकिन उनका एक व्यापक साझा उद्देश्य है– जैविक संसाधनों पर संपत्ति के अधिकारों (वास्तविक संपत्ति के अधिकारों), जैव विविधता से संबंधित आविष्कारों और ज्ञान पर संपति के अधिकारों (बौद्धिक संपदा के अधिकारों) को परिभाषित करना। जैविक संसाधनों पर वास्तविक और बौद्धिक संपदा के अधिकारों को तय करना हाल के वर्षों में एक अहम मसला बन चुका है। भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। वास्तविक संपत्ति के अधिकारों का मसला लंबे समय से विचाराधीन था। पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक इंजीनियरिंग में हुए तीव्र विकास के कारण अब बौद्धिक संपदा के अधिकारों का मसला केंद्र आ गया है। इस विषय पर तीखी बहसें हो रही हैं, क्योंकि नई प्रवृत्ति बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में एक सदी के दौरान बनी परिभाषाओं को उलट-पुलट कर रही है। प्रकृति और उससे संबंधित ज्ञान पेटेंट के दायरे से बाहर रहता आया था, लेकिन हाल की घटनाओं ने जीवन के विविध स्वरूपों के पेटेंट को अनिवार्य और स्वीकार्य बना दिया है। जीवन के स्वरूपों का पेटेंट तो अवधारणात्मक आधार पर ही बहस तलब है। उससे कई विचारणीय पहलू जुड़े हैं। भारत में जैविक संसाधनों का प्रबंधन दो बेहद बुनियादी जरूरतों 'भोजन और स्वास्थ्य' से सीधे-सीधे जुड़ा है।

पेटेंट या बौद्धिक संपदा के ऐसे ही अन्य अधिकारों को लागू करने पर चलते विवाद इन अधिकारों के कुछ और पहलुओं से भी संबंधित हैं। ट्रिप्स के तहत पेटेंट किसी व्यक्ति या संस्था को २० वर्षों के लिए दिया गया एकाधिकार है। व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए आविष्कार का चरित्र 'स्टेट ऑफ आर्ट' होने पर ही यह अधिकार दिया जाता है। आविष्कारक को यह अधिकार देने के पीछे यह भाव सक्रिय है कि उसे उसके अनुसंधान के लिए पुरस्कृत किया जाए और अनुसंधान पर आई लागत वसूलने का अवसर दिया जाए। नतीजतन, पेटेंट के जरिए उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, जहां मुक्त बाजार के सिद्धांत उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मुहैया नहीं कराते। ट्रिप्स के अंतर्गत यह प्रावधान है कि तकनीक के तमाम क्षेत्रों में पेटेंट उपलब्ध हों। भारत पर भी पेटेंट के जरिए या संपत्ति अधिकारों की वैकल्पिक व्यवस्था (अपनी विशिष्ट व्यवस्था) के जरिए वनस्पति विविधता की सुरक्षा की बाध्यता आयद होती है। जहां तक वनस्पति विविधता का ताल्लुक है, नए वनस्पति रूपों की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (यूपीओवी) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के खास एकाधिकार का प्रावधान किया गया है। इन्हें वनस्पति उगाने वालों के अधिकारों की संज्ञा दी गई है। इन अधिकारों का उद्देश्य भी एक बीज उद्योग विकसित करने का है। लेकिन ये अधिकार अपवादस्वरूप किसानों को कुछ छूटें और लाभ देते हैं। इस मायने से ये पेटेंट से कुछ भिन्न हैं। कुछ सुरक्षित वनस्पति रूपों के मामले में अन्य उत्पादकों को भी शोध की कुछ छूटें ये अधिकार देते हैं।

कुल मिलाकर, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय वैधानिक ढांचा संप्रभुता के अधिकारों और संपत्ति के अधिकारों के जरिए संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग का पक्षधर है। उसकी सामान्य कोशिश इन संसाधनों और ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग को प्रोत्साहित करने की है। इसका एक दुष्परिणाम यह है कि भोजन और स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में जिन अनेक ग्रामीण समुदायों में संपत्ति पर सामुदायिक अधिकारों की भूमिका अब भी निर्णायक है, वहां इन अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। संसद के सम्मुख इस समय जो तीन विधेयक हैं, वे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय ढांचे पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाते, हालांकि यह दलील दी जा सकती है कि भारत जब तक विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, तब तक विकल्पों का उसका दायरा काफी तंग है। लेकिन वनस्पति पेटेंट विधेयक ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते जिन मुल्कों को चुनाव की थोड़ी- बहुत आजादी देते हैं, वहां भी उस आजादी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।